तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहलकार ... हुक्म की तामील में जारी हुए
23/12/21	प्रार्थी वकील द्वारा शीघ्र प्रार्थना पत्र पेश कर शीघ्र सुनवाई हेतु निवेदन करने के कारण पत्रावली आज तलब की गई। पत्रावली क्र. 111, 128 पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 स्वीकार कर विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर शा.प. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]	

न्याय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण
राजस्व प्रार्थना पत्र सं0255 / 2023

नारायण पुत्र रामरतन, जाति नाई, आयु लगभग 45 वर्ष निवासी ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान हाल निवासी तेजाजी की पुलिया के पास, मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

प्रार्थी

वनाम

1. नारायण पुत्र लक्ष्मण जाति रेबारी, बालिग
2 लाली देवी पत्नी स्व. रामेश्वर जाति रेबारी, बालिग
3. पूजा देवी पुत्री स्व. रामेश्वर जाति रेबारी जरिये संरक्षक माता लाली देवी पत्नी स्व. रामेश्वर
4. नाबालिग महेन्द्र पुत्र स्व. रामेश्वर जाति रेबारी जरिये संरक्षक माता लाली देवी पत्नी स्व. रामेश्वर
5 नाबालिग इन्द्रराज पुत्र किशन संरक्षक सरपरस्त माता जाति रेबारी
6. तुलसी देवी पत्नि स्व. लक्ष्मण जाति रेबारी, बालिग सर्व निवासीगण ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
7. धन्नी पुत्री लक्ष्मण पत्नी रामदेव जाति रेबारी, बालिग निवासी ग्राम खोड़ा गणेश, तहसील व जिला अजमेर राजस्थान
8. नाबालिग निशा पुत्र नन्दा संरक्षक सरपरस्त माता जाति रेबारी सर्व निवासीगण ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
9. परमा पुत्री लक्ष्मण पत्नी स्व. श्री धर्मा जाति रेबारी, बालिग हाल निवासी ग्राम रेवत तहसील पुष्कर जिला अजमेर
10. नाबालिग मांगीलाल पुत्र नन्दा संरक्षक सरपरस्त माता जाति रेबारी निवासी ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
11 रूपा पुत्री लक्ष्मण पत्नी हरिराम जाति रेबारी, बालिग हाल निवासी ग्राम चौसला पोस्ट देवपुरी तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान
12. नाबालिग रिन्कू पुत्री किशन संरक्षक सरपरस्त माता जाति रेबारी
13 सरोज पत्नि नन्दा जाति रेबारी, बालिग
14 सीता पत्नि किशन जाति रेबारी, बालिग सर्व निवासीगण ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
15. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, तहसील कार्यालय किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थीगण

16. नटवरलाल पुत्र रामरतन, जाति नाई, आयु लगभग 53 वर्ष
17. मंजू देवी सैन पत्नी स्व. जगदीश, जाति नाई, आयु लगभग 36 वर्ष
18. नाबालिग नन्दनी उर्फ निशा सैन पुत्री स्व. जगदीश जाति नाई
19. नाबालिग कृष्णा उर्फ लक्की सैन पुत्री स्व. जगदीश जाति नाई
20. नाबालिग अदिति उर्फ गुड्डी सैन पुत्री स्व. जगदीश जाति नाई
21. नाबालिग खुशाल उर्फ मोहित सैन पुत्र स्व. जगदीश जाति नाई प्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 7 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता मंजू देवी सैन पत्नी स्व. जगदीश
22. मुन्नी पुत्री गोपाल, जाति नाई, आयु लगभग 28 वर्ष,
23. रामदेवी पत्नि गोपाल, जाति नाई, आयु लगभग 55 वर्ष,
24. संतोष पुत्री गोपाल, जाति नाई आयु लगभग 34 वर्ष,
25. सुनीता पुत्री गोपाल, जाति नाई आयु लगभग 32 वर्ष, सर्व निवासीगण ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान हाल निवासीगण तेजाजी की पुलिया के पास, मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

उपस्थित वकील प्रार्थीः— जितेन्द्र शर्मा
वकील अप्रार्थीः— एकपक्षीय

दिनांक 23.12.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर कथन किया प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 25 ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के स्थाई निवासीगण है। प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 25 के स्वामित्व, आधिपत्य, कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम काढ़ा, पटवार हल्का बालापुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरणा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या नया 285 के खसरा संख्या 305 क्षेत्रफल 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 702/305 क्षेत्रफल 0.0405 हैक्टेयर है। उक्त कृषि भूमि सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 25 के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी में दर्ज है एवं प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 25 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 25 की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 305 व 702/305 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 25 की उक्त कृषि भूमि के पूर्व, उत्तर एवं दक्षिण (तीनो दिशाओं) में अप्रार्थी संख्या 15 राजस्थान सरकार की भूमि है जो पूर्व दिशा में खसरा संख्या 299 क्षेत्रफल 0.7038 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता, उत्तर दिशा में खसरा संख्या 704/307 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बंजर प्रथम एवं दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 311 क्षेत्रफल 0.3398 हैक्टेयर किस्म गै. मु. रास्ता है तथा प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 25 की खातेदारी की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में विधिक रूप से नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज काश्त अनुसार तरमीम हो रखी है तथा प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 25 ही मौके पर अपनी खातेदारी की उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित अपनी संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार साहब, किशनगढ़ को दिया गया था जिस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान करने के आदेश हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम जारी किया गया तत्पश्चात् सीमाज्ञान किया गया एवं पटवार हल्का पटवारी व गिरदावर के द्वारा मौका पर्चा दिनांक 11.05.2023 को तैयार किया गया था। मौके पर मौका पर्चा तैयार कर उपस्थित लोगो के हस्ताक्षर करवाये। प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 25 अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है तथा प्रार्थी के द्वारा सीमाज्ञान करवाने के पश्चात् भी प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 के मध्य आये दिन सींव, मेड़ (सीमा) को लेकर विवाद होता रहता है जिससे प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 25 काफी परेशान है इस कारण प्रार्थी अपनी उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 305 व 702/305 की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थी एवं अड़ौस पडौस के खातेदारो अप्रार्थीगण में विवाद बढ़ सकता है वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिल सकता है तथा बिना वजह विवाद उत्पन्न होगें इस सभी परेशानियों से बचने के लिए तथा पड़ौसी खातेदारो से विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 2 में वर्णित प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 25 की खातेदारी की भूमि पर पत्थर गढ़ी किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 25 की खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 25 मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थी व अप्रार्थीगण पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव, सींव को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहते है इसलिए प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 25 की उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

गढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 25 निर्बाध रूप से अपनी आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 25 की खातेदारी की आराजी पर प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 25 जब भी हमेशा की तरह फसल हेतु बाह जोत करते है एवं फसल बुवाई एवं कटाई करते है तब प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होते रहते है एवं प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा लिया है जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 11.05.2023 को बनायी गयी है उसके बाद भी विवाद होने के कारण प्रार्थना पत्र का कारण निरन्तर जारी है। इसलिए प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 7 के पूर्वज पति व पिता जगदीश पुत्र स्व. गोपाल का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 7 है जिनके नाम अभी विरासत का नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 के पूर्वज पति व पिता रामेश्वर पुत्र स्व. लक्ष्मण का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 है जिनके नाम अभी विरासत का नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ है तथा खातेदार हंसा पुत्री स्व. लक्ष्मण पत्नी गिरधारी हाल निवासी ग्राम रेवत तहसील पुष्कर जिला अजमेर का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान की जानकारी प्रार्थी को नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 की भूमि प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 25 की भूमि के चारो सीमाओं से लगती हुई स्थित होने से पड़ौसी खातेदार एवं काश्तकार एवं राज्य सरकार होने से पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 15 को भूमिधारी राज्य सरकार होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी माननीय न्यायालय के राजस्व क्षेत्राधिकार की सीमाओं ग्राम काढ़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित होने से श्रीमान् को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र पर उचित न्याय शुल्क के टिकिट चस्पा है। अतः श्रीमान् से प्रार्थी निम्न प्रार्थना करता है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 25 की कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम काढा, पटवार हल्का बालापुरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरणा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या नया 285 के खसरा संख्या 305 क्षेत्रफल 0.0971 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 702/305 क्षेत्रफल 0.0405 हैक्टेयर सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौप करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थर गढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रार्थी के पक्ष में प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 31.10.2023 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 से 14 व 16 से 25 को नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 10.12.2024 को उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 10.12.2024 को अप्रार्थी संख्या 15 द्वारा वादअधीन भूमि पर पत्थरगढी हेतु अन्नापत्ति जाहिर की।

दिनांक 23.12.2024 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया। हमने वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम काढा पटवार हल्का बालापुरा खसरा संख्या 305 रकबा 0.0971 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 702/305 रकबा 0.0405 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 16 से 25 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थना पत्र में अंकित अप्रार्थी संख्या 01 से 14 की भूमि नक्शा के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की भूमि से लगती हुई है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम काढा पटवार हल्का बालापुरा खसरा संख्या 305 रकबा 0.0971 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 702/305 रकबा 0.0405 हैक्टेयर भूमि का मौके पर नाप जोप कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वे मौके पर दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर फीस रूपये 1,000/— रू0 तय किये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जातें है कि प्रार्थी द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें तथा पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

बेदखली अथवा कब्जे छुडवाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें, कब्जे की वर्तमान स्थिती में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करें। यदि मौके पर प्रार्थी की भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 23/12/2014 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)